ई–गवर्नेन्स सोसाईटी परवाणु, का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 8/06 से 3/14

1 **प्रारम्भिकः–**

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ (1) 3/2000, ई–गवर्नेन्स दिनाँक 3.09.05 के अन्तर्गत प्रदेश सरकार की ई–गवर्नेन्स सोसाईटी की परिवहन विभाग से सम्बन्धित निधियों का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ई–गवर्नेन्स सोसाईटी परवाणु के अवधि 8/06 से 3/14 के लेखाओं का वर्तमान एवं पथम अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के अनुभाग अधिकारी श्री रविन्द्र सिंह द्वारा दिनांक 16. 2.15 से 18.3.15 के दौरान परवाणु में किया गया। ई–गवर्नेन्स सोसाईटी सोलन जिसके अधीन ई–गवर्नेन्स सोसाईटी परवाणु का संचालन किया जा रहा है, का गठन सभायें पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत दिनांक 16.6.2004 को पंजीकरण संख्या 16–794/2004 के अन्तर्गत किया गया। वर्तमान अंकेक्षण के दौरान विस्तृत जांच हेतु निम्न मासों का चयन किया गया।

वर्ष	आय	व्यय
2006–07	8/06 से	3/07
2007–08	8/07	8/07
2008–09	4/08	3/09
2009–10	2/10	7/09
2010–11	12/10	12/10
2011–12	7/11	2/12
2012–13	12/12	6/12
2013–14	8/13	7/13

(ख) अंकेक्षण अवधि मे निम्नलिखित अधिकारी सोसाईटी के अध्यक्ष व सचिव के पद पर कार्यरत रहेः–

नाम गर्ग	पद	अवधि
श्री राजेश कुमार	अध्यक्ष	1.8.06 से 15.6.07
श्री मोहन चौहान	अध्यक्ष	15.6.07 से 9.1.08
श्री अमनदीप	अध्यक्ष	9.1.08 से 8.12.09
श्री अमर सिंह राठौर	अध्यक्ष	8.12.09 से 29.1.11
श्री सी0 पालरसु	अध्यक्ष	29.1.11 से 30.9.12
श्रीमती मीरा मोहन्ती	अध्यक्ष	30.9.12 से 1.7.13
श्री मदन चौहान	अध्यक्ष	2.7.13 से लगातार
श्री यशपाल शर्मा	सचिव	1.8.06 से 4.11.06
श्री हिमांशु शेखर	सचिव	5.12.06 से 28.4.08
श्री अविनाश चन्द्र	सचिव	30.4.08 से 12.8.08
श्री के0के0 शर्मा	सचिव	13.8.08 से 16.3.09
श्री के0डी0 प्रेमी	सचिव	18.3.09 से 9.4.09
श्री एल0आर0 वर्मा	सचिव	16.4.09 से 3.7.09
श्री श्रवण मान्टा	सचिव	7.7.09 से 4.8.09
श्री अरूण भारद्वाज	सचिव	1.9.09 से 10.08.10

श्री राजीव कुमार	सचिव	25.8.10 से 29.2.12
श्री मनोज चौहान	सचिव	4.5.12 से लगातार

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	**पैरा सं0**	**विवरण**	**₹ लाखों में**
1	5	परिवहन गतिविधियों से सम्बन्धित आय के 25 प्रतिशत भाग के रूप में राशि को राजकीय कोष में जमा न करवाया जाना	1.26
2	6	रोकड़ बही में दर्ज किए बिना ही राशि को राजकीय कोष में जमा करवाना	1.19
3	9	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना नियुक्त किए गए Data Entry Opraters को वेतन इत्यादि के रूप में अनियमित भुगतान करना	0.29
4	12	ऋण की राशि के साथ–साथ ब्याज के रूप में वापिस की गई राशि का भुगतान करने से सम्बन्धित अनियमितताएं	7.64
5	13	मूल बिलो के बिना राशि का भुगतान करना	0.21
6	14	निविदाएं आमन्त्रित किए बिना सामान का अनियमित रूप से क्रय करना	0.87

(घ) वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन ई–गवर्नेन्स सोसाईटी परवाणु द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं व अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। उक्त सोसाईटी द्वारा प्रदान की गई किसी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई है की स्थानीय लेखा परीक्षा जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

2 अंकेक्षण शुल्कः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी परवाणु के अवधि 8/06 से 3/14 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹19000/– आंका गया जिसे अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्या R-K\15 द्वारा स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग शिमला को भेजने हेतु अनुरोध किया गया।

3 वितीय स्थितिः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी परवाणु द्वारा प्रस्तुत सोसाईटी की अंकेक्षणाधीन अवधि की वितीय स्थिति **परिशिष्ट "क"** पर संलग्न की गई है।

4 नियमों के अनुसार लेखों का रख–रखाव न करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ (1) 3/2000, ई–गवर्नेन्स दिनाँक 3.09.05 में दिये गये निर्देशों के अनुसार सोसाईटी द्वारा प्रत्येक वर्ष

के अन्त में Income & Expenditure Statement तथा Balance Sheet तैयार करनी अपेक्षित थी परन्तु सोसाईटी द्वारा न ही Income & Expenditure Statement तैयार की गई और न ही Balance Sheet तैयार की गई। अतः परामश दिया जाता है कि प्रत्येक वर्ष की Income & Expenditure Statement व Balance Sheet तैयार की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए।

5 परिवहन गतिविधियों से सम्बन्धित आय के 25 प्रतिशत भाग के रूप में ₹126782/– को राजकीय कोष में जमा न करवाया जानाः–

हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ (1) 3/2000, ई–गवर्नेन्स दिनाँक 3.09.05 के पैरा 3 (बी) के अनुसार सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त की गई कुल वसूलियों का 25 प्रतिशत भाग राजकीय कोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित था। सोसाईटी द्वारा अंकेक्षण अवधि में सेवा शुल्क के रूप में कुल ₹1911406/– प्राप्त की गई जिसके 25 प्रतिशत भाग की ₹477851/– को राजकीय कोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित था परन्तु सोसाईटी द्वारा राजकीय कोष में केवल ₹351069/– जमा करवाई गई जिसका विवरण **परिशिष्ट "ख"** पर दिया गया है। इस प्रकार राजकीय कोष में (₹477851–₹351069=₹126782) कम जमा करवाई गई जिस बारे मामला सोसाईटी के सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर 4/15 दिनांक 21.2.15 द्वारा उठाया गया जिसके उतर में उनके द्वारा पत्र संख्या आर0एल0ए0 (ई–गवर्नेन्स) पी0डब्लयू0एन0 (आडिट) 2014–168 दिनांक 27.2.15 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि शीघ्र ही ₹126782 शेष राजकोय कोष में जमा करवाया दिया जाएगा। अतः परामर्श दिया जाता है कि शेष ₹126782 को शीघ्र राजकीय कोष में जमा करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

6 रोकड़ बही में दर्ज किए बिना ही ₹119231/– को राजकीय कोष में जमा करवानाः–

अंकेक्षण के दौरान सेवा शुंल्क संग्रह रजिस्टर व रोकड़ बही की पड़ताल पर पाया गया कि सोसाईटी द्वारा निम्नविवरणानुसार ₹119231 रोकड़ बही में दर्ज किए बिना ही राजकीय कोष में जमा करवाई गई है।

माह जिसमें सेवा शुल्क की राशि प्राप्त की गई	दिनांक जिस दिन राशि को सरकारी कोष में जमा करवाया गया	25 प्रतिशत भाग जिसे रोकड़ बही में दर्ज किए बिना ही राजकोय कोष में जमा करवाया गया
6/12	4.7.12	5575
10/12	9.11.12	4750
11/12	1.12.12	5323

12/12	2.1.13	7435
1/13	4.2.13	5573
2/13	1.3.13	5443
3/13	2.4.13	6055
4/13	7.5.13	5964
5/13	6.6.14	6440
6/13	6.7.13	6690
7/13	2.8.13	6417
8/13	12.9.13	5430
9/13	23.10.13	5019
10/13	1.11.13	6207
11/13	4.12.13	6180
12/13	1.1.14	6306
1/14	1.2.14	8496
2/14	3.3.14	7740
3/14	2.4.14	8188
	योग	**₹119231**

इसके अतिरिक्त उक्त विवरण के अवलोकन पर यह भी पाया गया कि सोसाईटी द्वारा प्रत्येक दिन सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त राशि में से 25 प्रतिशत भाग को अलग से हस्तगत रखकर राजकीय कोष में अगले माह ही जमा करवाया गया है जिस कारण सेवा शुंल्क की राशि को हस्तगत रखने के कारण बैंक में प्राप्त होने वाले ब्याज की हानि भी उठानी पड़ी जिसका औचित्य स्पष्ट किया जए तथा भविष्य में समस्त प्राप्तियों को पहले रोकड़ बही में दर्ज किया जाए तत्पश्चात राजकीय कोष में जमा करवाया जाए।

7 बैंक में ₹129600/– को देरी से जमा करवानाः–

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खाते की पड़ताल पर पाया गया कि सोसाईटी द्वारा प्राप्त राशि को विलम्ब से बैंक खाते में जमा करवाया जा रहा है जिसमें कुछ उदाहरण नीचे दिये गये है। नियमानुसार प्राप्त राशि को उसी दिन या अगले कार्य दिवस में बैंक में जमा करवाया जाना चाहिए था परन्तु संस्था द्वारा ऐसा नहीं किया गया है जोकि अनियमित है। इस प्रकार प्राप्त राशि को बैंक में देरी से जमा करवाने से ब्याज की भी हानि उठानी पड़ी है। अतः सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को देरी से जमा करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य म समय रहते राशि को बैंक में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

अवधि जिस दौरान राशि प्राप्त की गई	दिनांक जिस दिन राशि जमा करवाई गई	राशि जो प्राप्त करके देरी से जमा करवाई गई
4.06.07 से 12.6.07	12.6.07	6800
2.7.07 से 30.07.07	2.8.07	18790

8.11.07 से 15.11.07	15.11.07	6840
16.11.07 से 26.11.07	26.11.07	6950
8.4.08 से 17.4.08	19.4.08	4180
25.10.10 से 30.10.10	1.11.10	3460
1.11.10 से 8.11.10	8.11.10	3000
18.11.10 से 1.12.10	1.12.10	14200
8.2.11 से 14.2.11	14.2.11	7820
4.4.11 से 20.4.11	21.4.11	7850
22.4.11 से 4.5.11	4.5.11	14870
17.6.11 से 8.7.11	8.7.11	14480
18.8.11 से 2.9.11	2.9.11	11320
15.9.11 से 30.9.11		9040
	योग	**₹129600**

8 बैंक खाते में ₹900/– जमा न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खाते की पड़ताल पर पाया गया कि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी परवाणु द्वारा निम्नविवरणानुसार ₹900/– को बैंक खाते में जमा नहीं करवाया गया था जिसे अंकेक्षण के दौरान आपति उठाने के पश्चात सोसाईटी द्वारा जमा करवाया गया तथा जिसकी पुष्टि आगामी अंकेक्षण के दौरान की जाए। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में इस आश्य के साथ लाया जाता है कि भविष्य में सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को समय रहते बैंक खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें।

सेवा शुल्क प्राप्ति की अवधि	सेवा शुल्क जो प्राप्त किया गया	सेवा शुल्क जो जमा करवाया गया	भिन्नता	दिनांक जिस दिन अंकेक्षण आपति के बाद सेवा शुल्क जमा करवाया गया
6.12.10 से 10.12.10	4520	4020	500	24.2.12
27.12.10 से 8.1.11	4750	4500	250	24.2.12
23.6.11	350	300	50	2.3.15
22.12.12	100	–	100	2.3.15
		योग	**₹900**	

9 सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना नियुक्त किए गए Data Entry Opraters को वेतन इत्यादि के रूप में ₹29547/– का अनियमित भुगतान करनाः–

(क) ई–गवर्नेन्स सोसाईटी सोलन अधीन चलने वाली ईकाईयों के लिए बनाए गए नियम 9 (17)के अनुसार किसी भी ईकाई में कर्मचारी की नियुक्ति के लिए जिलाधीश सोलन की अनुमति आवश्यक है, परन्तु ई–गवर्नेन्स सोसाईटी परवाणु द्वारा जिलाधीश सोलन की अनुमति बिना ही कुमारी नीशा ठाकुर को Data Entry Oprater के पद पर ₹3000/– मासिक वेतन पर तैनात किया

गया तथा उन्हें निम्नविववरणानुसार ₹26300/– का भुगतान वेतन के रूप में किया गया जिसे नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाये तथा इस मामले में अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

माह जिस हेतु वेतन का भुगतान किया गया	**दिनांक जिस दिन भुगतान किया गया**	**रोकड़ पृष्ठ**	**भुगतान की गई राशि**
8.6.07 से 9/07 के वेतन का भुगतान	12.10.07	32	11300
10/07 के वेतन का भुगतान	5.11.07	35	3000
11/07 के वेतन का भुगतान	1.12.07	39	3000
12/07 के वेतन का भुगतान	2.1.08	42	3000
1/08 के वेतन का भुगतान	8.02.08	45	3000
2/08 के वेतन का भुगतान	26.3.08	51	3000
		योग	**₹26300**

(ख) इसके अतिरिक्त रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 17 पर वाउचर संख्या शून्य दिनांक 26.4.07 के अन्तर्गत ₹3247/– का भुगतान कुमारी शिप्रा को चैक संख्या 245906 द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र की Back Log Data Entry करन हेतु किया गया। सोसाईटी द्वारा उक्त कर्मचारी की नियुक्ति अपने स्तर पर की गई। अतः सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना उक्त कर्मचारी की नियुक्ति करने तथा उसे उक्त किए गये भुगतान के कारण स्पष्ट किए जाए तथा इस मामले में सक्षम अधिकारी की कार्योतर स्वीकृति लेकर उक्त व्यय को नियमित करवाया जाए।

10 यात्रा भते दावे के रूप में ₹840/– का अनियमित भुगतान करना:–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नविवरणानुसार कर्मचारियों को यात्रा भते दावे के रूप में ₹840/– का भुगतान किया गया। उक्त कर्मचारी ई–गवर्नेन्स सोसाईटी परवाणु में कार्यरत नहीं थे। नियमानुसार कर्मचारी को जिस संस्थान से वेतन का भुगतान किया जाता है उसी संस्था से यात्रा भते दावे का भुगतान भी किया जाना अपेक्षित होता है। अतः अन्य संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को ई–गवर्नेन्स सोसाईटी परवाणु से यात्रा भते के भुगतान करके नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा ₹840/– की वसूली उचित माध्यम से कर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

वा0सं0 व दिनांक	**जिसे भुगतान किया गया**	**संस्था का नाम जहां कर्मचारी यात्रा के दौरान कार्यरत थे**	**भुगतान की गई राशि**
शून्य व 31.5.07	श्री राज कुमार कम्पयूटर आपरेटर	ई–गवर्नेन्स सोसाईटी नालागढ	450

शून्य व 8.2.08	श्री विशाल शर्मा	ई–गवर्नेन्स सोसाईटी केन्द्रीय यूनिट सोलन	390
		योग	**₹840**

11 ई–गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा भुगतान की गई ₹1125462/– से सम्बन्धित पावतियों को अंकेक्षण में उपलब्ध न करवानाः–

अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों की पड़ताल पर पाया गया कि सोसाईटी द्वारा निम्नविवरणानुसार ₹1125462/–का भुगतान जिलाधीश सोलन को किया गया परन्तु उक्त भुगतान से सम्बन्धित पावतियां अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई थी जिस कारण उक्त भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकती। अतः ₹1125462/–के भुगतान से सम्बन्धित पावतियों को सम्बन्धित कार्यालय से प्राप्त किया जाए तथा अनपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

भुगतान जिसे किया गया	**भुगतान का विवरण**	**दिनांक जिस दिन भुगतान किया गया**	**रोकड़ पृष्ठ जहां विवरण दर्ज किया गया**	**भुगतान की गई राशि**
जिलाधीश सोलन	जिला लघु बचत सोलन से लिए गए ऋण की अदायगी	1.12.06	11	50000
जिलाधीश सोलन	–यथोपरि–	7.7.07	24	100000
जिलाधीश सोलन	–यथोपरि–	8.2.08	45	50000
जिलाधीश सोलन	–यथोपरि–	16.3.09	101	250000
जिलाधीश सोलन	–यथोपरि–	30.7.09	116	100000
जिलाधीश सोलन	लिए गए ऋण पर ब्याज की अदायगी	30.11.09	133	100000
जिलाधीश सोलन	–यथोपरि–	23.12.10	35	114447
जिलाधीश सोलन	केन्द्रीय ईकाई को किया गया भुगतान	25.2.12	88	361015
	योग			**₹1125462**

12 ऋण की ₹550000/– के साथ–साथ ब्याज के रूप में वापिस की गई ₹214447 अर्थात कुल ₹764447 का भुगतान करने से सम्बन्धित अनियमितताएंः–

जिलाधीश व अध्यक्ष लघु बचत निधि जिला सोलन व ई–गवर्नेन्स सोसाईटी परवाणु क मध्य दिनांक 10.8.06 के अनुबन्ध अनुसार ई–गवर्नेन्स सोसाईटी परवाणु केन्द्र के आरम्भ करने हेतु लघु बचत निधि से ₹5.50 लाख प्रदान की गई जिसे सोसाईटी द्वारा 10.5 प्रतिशत ब्याज सहित 24 किस्तों में वापिस किया जाना अपेक्षित था तथा नियमित रूप से भुगतान न करने की स्थिति में

विलम्ब से भुगतान करने की अवधि हेतु 3 प्रतिशत दण्ड ब्याज का भुगतान भी किया जाना था। सोसाईटी द्वारा नीचे दर्शाये गए विवरण अनुसार ₹550000/–का ऋण तथा +₹214447/–का ब्याज अर्थात कुल ₹764447/– का भुगतान जिला लघु बचत निधि सोलन को किया गया।

दिनांक	**रोकड़ पृ0**	**भुगतान का विवरण**	**भुगतान की गई राशि**
1.12.06	11	ऋण का भुगतान	50000
7.7.07	24	–यथोपरि–	100000
8.2.08	45	ऋण की राशि का भुगतान	50000
16.3.09	101	–यथोपरि–	250000
30.7.09	116	–यथोपरि–	100000
30.11.09	133	ऋण के ब्याज का भुगतान	100000
23.12.10	35	–यथोपरि–	114447
		योग	**₹764447**

उक्त भुगतान से निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(क) सोसाईटी द्वारा मासिक आधार पर ऋण की राशि का भुगतान नहीं किया गया जबकि अनुबन्ध के अनुसार 24 किस्तों में मासिक आधार पर भुगतान किया जाना अपेक्षित था। अतः उक्त अनियमितता के कारण स्पष्ट किए जाएं।

(ख) सोसाईटी द्वारा ऋण पर दिए गये ब्याज की ₹214447/– का विवरण न तो जिला लघु बचत निधि सोलन से प्राप्त किया गया न ही ब्याज की गणना अपने स्तर पर की गई। अतः इस प्रक्रिया में ब्याज की राशि का विवरण जिला लघु बचत निधि सोलन से प्राप्त करके तथा विभागीय स्तर पर उसकी पड़ताल करके वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए मामले में अपेक्षित कार्रवाई की जाए।

13 मूल बिलों के बिना ₹21225/– का भुगतान करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा हिमाचल प्रदेश इलेक्टनिक्स कारपोरेशन खलीनो को निम्न विवरणानुसार सामान के क्रय हेतु ₹21225/– का भुगतान किया गया परन्तु सोसाईटी के पास इससे सम्बन्धित मूल बिल अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः बिना मूल बिल के सामान का क्रय करने हेतु ₹21225/– का भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए।

दिनांक जिस दिन भुगतान किया गया	रोकड़ पृ0	सामान का विवरण जिस हेतु भ्गतान किया गया	राशि जो भुगतान की गई
21.09.20	24	Four in one Printer	16275
1.10.10	27	Web com हेतु व्यय	4950
		योग	**₹21225**

इस सन्दर्भ में चर्चा के दौरान बताया गया कि उक्त क्रय किए गए सामान के मूल बिलों की प्रति केन्द्रीय ईकाई सोलन को प्रेषित की गई है। अतः मूल बिलों की प्रति केन्द्रीय ईकाई सोलन से प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14 निविदाएं आमन्त्रित किए बिना ₹87600/– के सामान का अनियमित रूप से कय करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सोसाईटी द्वारा निम्नविवरणानुसार ₹87600/– का व्यय विभिन्न प्रकार सामान के क्रय हेतु किया गया परन्तु संस्था द्वारा सामान के क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की गई जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार के वित नियम 2009 के अनुसार ₹3000/–से अधिक मूल्य के सामान तथा इससे पूर्व ₹1000/–से अधिक के क्रय हेतु निविदाएं/कुटेशनें आमन्त्रित की जानी अपेक्षित है। इस प्रकार बिना निविदाएं/कुटेशन आमन्त्रित किए सामान क्रय करने से संस्था द्वारा बाजार प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं तथा इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी से नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

वा0सं0 व दिनांक	बिल सं0 व दिनांक	जिसे भुगतान किया गया	सामान का विवरण जिस हेतु भुगतान किया गया	राशि जो भुगतान की गई
2 ऑफ 1.8.06	105 ऑफ 31.8.06	M\S Desiger Decer Parwanoo	कार्यालय प्रयोग हेतु विभिन्न प्रकार की फर्नीचर सामग्री का क्रय	30000
3 ऑफ 31.8.06	2 ऑफ 22.8.06	Sharma Agency Parwanoo	स्टील फेवरीकेशन का काउंटर बनाने हेतु क्रय	28000
4 ऑफ 31.8.06	550, 551 ऑफ 28.8.06	Amrit electrical Parwanoo	बिजली फिटिंग हेतु सामान का क्रय	8000
11 ऑफ 25.9.06	1840 ऑफ 13.9.06	S.K, Furniture Parwanoo	कार्यालय प्रयोग हेतु 6 कुर्सियों का क्रय	6750
13 ऑफ 13.10.06	43 ऑफ 10.10.06	M\S Amar Lal Suresh Kumar Parwanoo	कार्यालय प्रयोग हेतु लोहे के 6 रेक व अलमारी का क्रय	14850
			योग	**₹87600**

15 सोसाईटी की निधि से ₹4000/– का अनाधिकृत भुगतान करनाः–

सोसाईटी द्वारा राज्य अतिथि के लिए वाहन सख्या एच0पी0–01–3132 कालका का कसौली व कसौली से परवाणु वापसी किराए पर लेने हेतु ₹4000 का भुगतान किया गया। इस सन्दर्भ में जिलधीश सोलन के पत्र संख्या एम0ए0/7/8/72 दिनांक 2.1.11 के पत्रानुसार वाहन किराये पर लेने हेतु आदेश दिए गए तथा यह निर्देश भी दिए गय थे कि उक्त राशि की प्रतिपूर्ति जिलाधीश महादेय के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग (G.A.D) शिमला–2 से की जानी अपेक्षित थी, परन्तु संस्था द्वारा इस सन्दर्भ में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अब उक्त राशि की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित विभाग से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 मोबाईल भते के रूप में ₹3500/– का भुगतान करने बारेः–

रोकड़ बही की पड़ताल पर पाया गया कि श्री राजीव कुमार (RLA Parwanoo) को माह 10/11 से 2/12 के लिए 5 माह के ₹700/–प्रतिमाह की दर से मोबाईल भते हेतु दिनांक 25.2.12 का ₹3500/– का भुगतान किया गया दर्शाया गया है परन्तु बैंक खाते की पड़ताल पर पाया गया वास्तव में सोसाईटी द्वारा उक्त भुगतान चैक संख्या 104417 द्वारा श्री ओम प्रकाश वाहन चालक को किया गया। इस प्रकार रोकड़ बही अनुसार भुगतान श्री राजीव कुमार को किए जाने तथा बैंक पास बुक के माध्यम से भुगतान श्री आम प्रकाश वाहन चालक को के कारण दोना में विरोधाभास प्रतीत हो रहा है जिस बारे में वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त इस प्रकरण में संस्था द्वारा न ही कोई व्यय वाउचर बनाया गया न ही भुगतान की रसीद प्राप्त की गई जिसे आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए।

17 स्टेशनरी की खरीद पर ₹47698/– का अनियमित भुगतान करनाः–

नियमानुसार सरकारी कार्यालय हेतु स्टेशनरी की खरीद हिमाचल प्रदेश प्रिटिंग प्रेस से की जानी अपेक्षित थी। यदि खरीद खुले बाजार से की जानी है तो इसके लिए भी सम्बन्धित विभाग से अनापति प्रमाण पत्र लेना अपेक्षित था, परन्तु ई–गवर्नेन्स सोसाईटी परवाणु द्वारा निम्नविवरणानुसार ₹47698/– की स्टेशनरी का क्रय सम्बन्धित विभाग अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त किए तथा बिना कुटेशनें आमन्त्रित करके खुले बाजार से किया गया जोकि अनियमित प्रतीत होता है।

वा0सं0व दिनांक	बिल नं0	जिसे भुगतान किया गया	राशि	टिप्पणी
14 आर्फ 13.10.06	3311, 3312	ग्लेक्सी मार्केटिंग परवाणु	9875	बिना कुटेशन लिए स्टेशनरी का क्रय व स्टॉक प्रविष्टि भी दर्ज

				नहीं की गई
18 ऑफ 18.11.06	3574, 3705	–यथोपरि–	10700	–यथोपरि–
शून्य ऑफ 16.10.08	345	–यथोपरि–	7851	–यथोपरि–
शून्य ऑफ 16.10.08	347	–यथोपरि–	6142	–यथोपरि–
शून्य ऑफ 4.5.09	973, 1010	–यथोपरि–	13130	–यथोपरि–
		योग	**₹47698**	

इसके अतिरिक्त ई–गवर्नेन्स सोसाईटी परवाणु द्वारा क्रय की गई उक्त स्टेशनरी की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि भी दर्ज नहीं की गई जिस कारण उक्त क्रय की गई स्टेशनरी तथा इसकी खपत की पड़ताल नहीं की जा सकी। अतः लेखा परीक्षा द्वारा सुझाव दिया जाता है कि उक्त स्टेशनरी के अनियमित क्रय को सक्षम अधिकारी से नियमित करवाया जाये तथा स्टेशनरी के क्रय एवं खपत को प्रविष्टि नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर में दर्ज की जाये। इसके अतिरिक्त ई–गवर्नेन्स सोसाईटी के संचालन हेतु बनाए गए नियमानुसार ₹5000/– से अधिक क्रय हेतु अध्यक्ष ई–गवर्नेन्स सोसाईटी की अनुमति आवश्यक है परन्तु इन मामलों में ऐसा नहीं किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस मामले में कार्योतर स्वीकृति प्राप्त करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18 रोंकड़ बही के सत्यापन बारेः–

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही की पड़ताल पर पाया गया कि सोसाईटी ही अवधि 27.12.06 से 29.5.07 की रोकड़ बही को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है। नियमानुसार रोकड़ बही में दर्ज समस्त प्राप्ति व भुगतान को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना अनिवार्य होता है। अतः अवधि 27.12.06 से 29.5.07 की रोकड़ बही को सक्षम अधाकारी से सत्यापित करवाया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

19 स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः–

अंकेक्षण अवधि के दौरान स्टोर/स्टॉक की मदों का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया था जोकि अनियमित है। अतः अनुपालना हेतु राय दी जाती है कि स्टोर/स्टॉक की सामग्री का प्रत्यक्ष सत्यापन नियमानुसार करवाया जाये।

20 विविधः–

केन्द्रीय ईकाई सोलन से ई–गवनन्स सोसाईटी (RLA) परवाणु को समय–2 पर जारी की गई विभिन्न मदों तथा ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (RLA) परवाणु द्वारा केन्द्रीय ईकाई के हिस्से के रूप

में भेजी गई राशि का मिलान केन्द्रीय ईकाई सोलन से नहीं किया गया है। अतः इस सन्दर्भ में भी अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21 **लघु आपत्ति विवरणीः**— इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

22 **निष्कर्षः**— लेखों के रख रखाव में सुधार व निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/—
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)(सी)(15)(xii)40/2015 Vol-1—2503—2507 दिनांक21.05.2015, शिमला—09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :—

पंजीकृतः—1 उप मण्डल अधिकारी एवं सचिव (आर0एल0ए0) परवाणु, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

2 जिलाधीश सोलन जिला सोलन (हि0प्र0)

3 निदेशक (परिवहन विभाग) हि0प्र0 शिमला—03

4 विशेष सचिव (परिवहन) हि0प्र0 शिमला—02

5 श्री रविन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा..........................

हस्ता/—
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.